GRAP चरण-I — दिल्ली-NCR में लागू

प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

परिचय

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में AQI के 'खराब' (Poor, 201-300) श्रेणी में पहुँचने पर **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-I** लागू किया — इस सीज़न में पहली बार (प्रेस रिपोर्ट: AQI 244)।

प्रमुख तथ्य (स्थिर)

- GRAP NCR के लिए आपातकालीन क्रमिक कार्रवाई-योजना है: चरण-I (खराब 201-300), II (बहुत खराब 301-400), III (गंभीर 401-450), IV (अति गंभीर 450+)।
- सुप्रीम कोर्ट के M.C. Mehta बनाम भारत संघ (दिसंबर 2016) निर्देशों के बाद 12 जनवरी 2017 को MoEFCC ने अधिसूचित किया; प्रारंभ में EPCA को सौंपा गया, वर्तमान में CAQM क्रियान्वित करता है।
- **चरण-I के प्रमुख उपाय:** सड़कों की यांत्रिक सफ़ाई और पानी छिड़काव, निर्माण-स्थलों पर धूल-नियंत्रण/एंटी-स्मॉग गन, कचरे/कूड़े की खुली जलाए जाने पर रोक की निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

PIB के अनुसार: 21 अक्टूबर 2026 की घटना

PIB की 21 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दैनिक बुलेटिन में दिल्ली का दैनिक औसत AQI उस दिन दोपहर 2 बजे 244 और शाम 4 बजे 245 ('खराब' श्रेणी) दर्ज हुआ। इसके बाद CAQM की GRAP उप-समिति ने IMD/IITM के पूर्वानुमान की समीक्षा कर पूरे NCR में GRAP के चरण-I के सभी 25 कार्य-बिंदु तत्काल प्रभाव से लागू किए। सभी संबंधित एजेंसियाँ इनका क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा करेंगी। (यह 21 अक्टूबर के निर्णय का विवरण है; इसके बाद की वर्तमान स्थिति यहाँ नहीं बताई गई है।)

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

PCSMANTRA.COM

GRAP की संरचना 'ग्रेडेड' — यानी क्रमागत — इसीलिए कहलाती है: प्रतिबंधों की कड़ाई वायु-गुणवत्ता के बिगड़ने के अनुपात में बढ़ती है, ताकि आपात स्थिति से पहले ही हस्तक्षेप शुरू हो जाए। चार चरण हैं: I (खराब, AQI 201-300), II (बहुत खराब, 301-400), III (गंभीर, 401-450), IV (अति गंभीर, 450+)। यह क्रम-सीमा प्रिलिम्स का स्थायी तथ्य है।

संस्थागत काल-रेखा भी महत्वपूर्ण है: सुप्रीम कोर्ट के M.C. Mehta बनाम भारत संघ (दिसंबर 2016) निर्देशों के बाद MoEFCC ने 12 जनवरी 2017 को GRAP अधिसूचित किया; प्रारंभ में क्रियान्वयन EPCA को सौंपा गया, वर्तमान में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) करता है। 21 अक्टूबर 2026 की घटना इस तंत्र की कार्यप्रणाली दिखाती है: CPCB के दैनिक बुलेटिन में दिल्ली का औसत

AQI दोपहर 2 बजे 244 और शाम 4 बजे 245 दर्ज हुआ, जिसके बाद CAQM की GRAP उप-समिति ने IMD/IITM के पूर्वानुमान की समीक्षा कर पूरे NCR में चरण-I के सभी 25 कार्य-बिंदु तत्काल लागू किए — यानी निर्णय मौजूदा आँकड़े और पूर्वानुमान दोनों पर आधारित था।

चरण-I के उपाय याद रखें: सड़कों की यांत्रिक सफ़ाई और पानी छिड़काव, निर्माण-स्थलों पर धूल-नियंत्रण/एंटी-स्मॉग गन, खुले में कचरा जलाने पर रोक की निगरानी और औद्योगिक अनुपालन। CPCB (मापन-बुलेटिन) और CAQM (क्रियान्वयन) की भूमिका-भिन्नता विकल्पों में उलझाने के लिए पूछी जा सकती है।

परीक्षा-उपयोगिता

वायु-प्रदूषण शासन, CAQM, पर्यावरण-कानून।

प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. GRAP चरण-I किस AQI सीमा पर लागू होता है?

(a) 101-200

(b) 201-300

(c) 301-400

(d) 400+

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2. वर्तमान में GRAP कौन क्रियान्वित करता है?

(a) CPCB

(b) EPCA

(c) CAQM

(d) NGT

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 3. GRAP की पृष्ठभूमि में कौन सा न्यायिक निर्देश है?

(a) गोदावरमण

(b) M.C. Mehta 2016

(c) केशवानंद

(d) पुट्टस्वामी

▶ उत्तर और व्याख्या

PCSMANTRA.COM

स्रोत

- PIB, "CAQM invokes Stage-I of GRAP in Delhi-NCR with immediate effect amid sharp rise in AQI" (21 अक्टूबर 2026, पूरा पाठ पढ़ा): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2326133
- इंडियन एक्सप्रेस/इंडिया टुडे (21 अक्टूबर 2026); CAQM/MoEFCC अधिसूचना (स्थिर): https://caqm.nic.in/

PCSMANTRA.COM